न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 03.10.2023

अपील संख्या 2023/164

उनवान

1– अशोक आत्मज रामदयाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां
2– कल्याणी पुत्री छोटूलाल पत्नी मुकुट बिहारी, जाति धाकड, हाल निवास जेल के सामने बारां
3– गुड्डीबाई पुत्री रामदयाल पत्नी रामबाबूजी, जाति धाकड, निवासी ग्राम केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां
4– घनश्याम आत्मज छोटूलाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां
5– चन्द्रकला पुत्री रामदयाल पत्नी पप्पूदयाल जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम अन्ताना, तहसील अटरू, जिला बारां
6– जगदीश आत्मज छोटूलाल, जाति धाकड,
7– पन्सूरी बाई पत्नी रामदयाल, जाति धाकड,
8– लक्ष्मण आत्मज रामदयाल, जाति धाकड,
9– शान्ति बाई पत्नी छोटूलाल, जाति धाकड,
निवासीगण ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां .... अपीलांट

बनाम

1– महेन्द्र कुमार आत्मज दुर्गालाल, जाति धाकड
2– मुकेश कुमार आत्मज दुर्गालाल, जाति धाकड
3– कल्ली बाई पत्नी दुर्गालाल, जाति धाकड
4– ममता पुत्री दुर्गालाल, जाति धाकड
निवासीगण ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां
5– रामदुलारी पत्नी नवल किशोर, जाति खाती, निवासी ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां
6– सुगनी बाई पुत्री मदनलाल, जाति धाकड
7– सुशीला पुत्री दुर्गालाल, जाति धाकड
8– सोहनलाल पुत्र सीताराम, जाति धाकड
9– गोपाल आत्मज रतनलाल, जाति धाकड
10– विमला बाई पत्नी हेमराज, जाति धाकड
निवासीगण ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां
11– जमना बाई पत्नी कान्हा, जाति धाकड
12– देवकीनन्दन आत्मज कान्हा, जाति धाकड
13– प्रहलाद आत्मज कान्हा, जाति धाकड
14– मन्जू पुत्री कान्हा, जाति धाकड
15– मनोज आत्मज कान्हा, जाति धाकड
16– मोहनी पुत्री कान्हा, जाति धाकड
17– रघुनन्दन आत्मज कान्हा, जाति धाकड,
18– बन्टी आत्मज कान्हा, जाति धाकड
निवासीगण ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां
19– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां .... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2023/163 **दायरा दिनांक : 03.10.2023**

उनवान

1– अशोक आत्मज रामदयाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां
2– कल्याणी पुत्री छोटूलाल पत्नी मुकुट बिहारी, जाति धाकड, हाल निवास जेल के सामने बारां
3– गुड्डीबाई पुत्री रामदयाल पत्नी रामबाबूजी, जाति धाकड, निवासी ग्राम केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां
4– घनश्याम आत्मज छोटूलाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां
5– चन्द्रकला पुत्री रामदयाल पत्नी पप्पूदयाल जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम अन्ताना, तहसील अटरू, जिला बारां
6– जगदीश आत्मज छोटूलाल, जाति धाकड,
7– पन्सूरी बाई पत्नी रामदयाल, जाति धाकड,
8– लक्ष्मण आत्मज रामदयाल, जाति धाकड,
9– शान्ति बाई पत्नी छोटूलाल, जाति धाकड,
निवासीगण ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां .... अपीलांट

बनाम

1– महेन्द्र कुमार आत्मज दुर्गालाल, जाति धाकड
2– मुकेश कुमार आत्मज दुर्गालाल, जाति धाकड
3– कल्ली बाई पत्नी दुर्गालाल, जाति धाकड
4– ममता पुत्री दुर्गालाल, जाति धाकड
निवासीगण ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां
5– रामदुलारी पत्नी नवल किशोर, जाति खाती, निवासी ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां
6– सुगनी बाई पुत्री मदनलाल, जाति धाकड
7– सुशीला पुत्री दुर्गालाल, जाति धाकड
8– सोहनलाल पुत्र सीताराम, जाति धाकड
9– गोपाल आत्मज रतनलाल, जाति धाकड
10– विमला बाई पत्नी हेमराज, जाति धाकड
निवासीगण ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां
11– जमना बाई पत्नी कान्हा, जाति धाकड
12– देवकीनन्दन आत्मज कान्हा, जाति धाकड
13– प्रहलाद आत्मज कान्हा, जाति धाकड
14– मन्जू पुत्री कान्हा, जाति धाकड
15– मनोज आत्मज कान्हा, जाति धाकड
16– मोहनी पुत्री कान्हा, जाति धाकड
17– रघुनन्दन, आत्मज कान्हा, जाति धाकड,
18– बन्टी आत्मज कान्हा, जाति धाकड
निवासीगण ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां
19– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां ..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री आर.पी. गोयल व श्री शैलेश जैन रेस्पोडेंट नं. 1 से 4, 7,9 व 10, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 21.05.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 77/2021 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.11.2022 तथा संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.04.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मूंडला, तहसील अटरू में हमारा संयुक्त खाता है जिसमें कुल 7 खाते हैं, जिसके अनुसार खाता संख्या 316 का रकबा 3.64 हेक्टर, 317 का रकबा 5.11 हेक्टर, 318 का रकबा 3.33 हेक्टर, 319 का रकबा 2.16 हेक्टर, 320 का रकबा 0.03 हेक्टर, 321 का रकबा 8.88 हेक्टर, तथा खाता नं. 204 का रकबा 5.13 हेक्टर कुल रकबा 28.28 हेक्टर दर्ज है। जिसमें हमारा प्रत्येक खाते में 1/12 + 1/12 हिस्सा दर्ज है जो 4.71 हेक्टर होता है। वाके ग्राम एवं माल मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां के जमाबंदी खाता संख्या 318, 319, 320, 321 में हम वादीगण व प्रतिवादीगण का अपना अपना हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 30.11.2022 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम मूंडला, तहसील अटरू के खाता संख्या 318 के ख0 नं0 939 रकबा 1.65 हेक्टर, ख0 नं0 975 का रकबा 1.68 हेक्टर किता 2 रकबा 3.33 हेक्टर, खाता संख्या 319 के ख0 नं0 1052 रकबा 0.54 हेक्टर, ख0 नं0 579 रकबा 0.56 हेक्टर, ख० नं० 905 रकबा 0.53 हेक्टर, ख० नं० 906 रकबा 0.53 हेक्टर किता 4 कुल रकबा 2.16 हेक्टर तथा खाता नं0 321 के ख0 नं0 1043 की 0.25 हेक्टर, ख0 नं0 1044 की 0.26 हेक्टर, ख० नं० 1045 की 0.23 हेक्टर, ख0 नं0 153/1252 की 0.1 हेक्टर, ख0 नं0 560 की 0.1 हेक्टर, ख0 नं0 561 की 0.05 हेक्टर, ख0 नं0 574 की 0.1 हेक्टर, ख0 नं0 577 की 0.66 हेक्टर, ख० नं० 580 की 0.22 हेक्टर, ख०नं० 582 का रकबा 0.89 हेक्टर, ख० नं0 587 का रकबा 0.46 हेक्टर,

ख०नं० 908 का रकबा 0.37 हेक्टर, ख0 नं0 909 का रकबा 0.3 हेक्टर, ख0नं0 910 की 0.49 हेक्टर, ख०नं० 911 की 0.46 हेक्टर, ख0नं0 912 की 0.54 हेक्टर, ख0नं0 913 रकबा 0.54 हेक्टर, ख0नं0 914 रकबा 0.36 हेक्टर, ख0 नं0 973 रकबा 1.22 हेक्टर, ख0 नं0 974 रकबा 1.28 हेक्टर कुल किता 20 कुल रकबा 8.88 हेक्टर आराजी का हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम मूण्डला के खाता संख्या 320 के ख0 नं0 578 का रकबा 0.01 हेक्टर, ख0 नं0 581 की 0.01 हेक्टर, ख0नं0 907 की 0.01 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.03 हेक्टर को संयुक्त खातेदारी में यथावत रखा जावे। बैंक के रहन का नोट संबंधित खातेदार के हिस्से पर दर्ज किया जाये। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में हिस्से व कब्जा काश्त का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने संशोधित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.04.2023 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम मूंडला, तहसील अटरू के खाता संख्या 204 के ख०नं० 977 रकबा 5.13 हेक्टर, खाता संख्या 316 के ख0 नं0 924 रकबा 3.64 हेक्टर, खाता संख्या 317 के ख० नं० 391 रकबा 2.56 हेक्टर, खाता संख्या 318 के ख0 नं0 939 रकबा 1.65 हेक्टर, ख0 नं0 975 का रकबा 1.68 हेक्टर किता 2 रकबा 3.33 हेक्टर खाता संख्या 319 के ख० नं० 1052 रकबा 0.54 हेक्टर, ख० नं० 579 रकबा 0.56 हेक्टर, ख० नं० 905 रकबा 0.53 हेक्टर, ख० नं० 906 रकबा 0.53 हेक्टर किता 4 कुल रकबा 2.16 हेक्टर, खाता संख्या 321 के ख0 नं0 1043 की 0.25 हेक्टर, ख0 नं0 1044 की 0.26 हेक्टर, ख० नं० 1045 की 0.23 हेक्टर, ख0 नं0 153/1252 की 0.1 हेक्टर, ख० नं० 560 की 0.1 हेक्टर, ख० नं० 561 की 0.05 हेक्टर, ख0 नं0 574 की 0.1 हेक्टर, ख0 नं0 577 की 0.66 हेक्टर, ख० नं० 580 की 0.22 हेक्टर, ख० नं० 582 का रकबा 0.89 हेक्टर, ख० नं० 587 का रकबा 0.46 हेक्टर, ख0 नं0 908 का रकबा 0.37 हेक्टर, ख0 नं0 909 का रकबा 0.3 हेक्टर, ख० नं० 910 की 0.49 हेक्टर, ख0 नं0 911 की 0.46 हेक्टर, ख० नं० 912 की 0.54 हेक्टर, ख0 नं0 913 का रकबा 0.54 हेक्टर, ख0 नं0 914 का रकबा 0.36 हेक्टर, ख० नं० 973 का रकबा 1.22 हेक्टर, ख0 नं0 974 का रकबा 1.28 हेक्टर कुल किता 20 कुल रकबा 8.88 हेक्टर आराजी का हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम मूण्डला के खाता संख्या 320 के ख0 नं0 578 का रकबा 0.01 हेक्टर, ख0 नं0 581 की 0.01 हेक्टर, ख0 नं0 907 की 0.01 हेक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.03 हेक्टर को संयुक्त खातेदारी में यथावत रखा जावे। बैंक के रहन का नोट संबंधित खातेदार के हिस्से पर दर्ज किया जावे। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में हिस्से व कब्जे काश्त का ध्यान रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर पेश करें। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2023/164 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं न्याय संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश एवं डिक्री प्रदान कर दी, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचना एवं जानकारी के रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का वाद अपीलान्ट के विरुद्ध डिक्री कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट ग्राम मूंडला, तहसील अटरू के स्थायी निवासी है। जिनमें से कुछ की शादियां हो जाने से अपने ससुराल में निवास करती चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना एवं तामील के सूचना होना मानकर एकपक्षीय कार्यवाही कर दी, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 द्वारा ग्राम मूंडला स्थित आराजी के संबंध में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिनका सम्मन अपीलान्ट को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ प्रस्तुत सम्मन विधि के प्रावधानों के विपरीत है। जिन पर त्रुटि पूर्ण रूप से अपीलान्ट की तामील होना मान लिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वादीगण का वाद विभाजन का है ग्राम मूंडला स्थित आराजी में अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही अवैधानिक एवं त्रुटि पूर्ण रूप से एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट ग्राम मूंडला स्थित आराजी के कब्जे व काश्त की चली आ रही है अपीलान्ट की आराजी से रेस्पोडेन्ट का कभी कोई संबंध नहीं रहा है फिर भी अपीलान्ट को विधिक के प्रावधानों के अन्तर्गत नोटिस तामील हुये बिना ही आदेश एवं डिक्री पारित कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम मूंडला स्थित आराजी के संबंध में गोपाल आत्मज सरकार प्रकरण सख्या 211/2020 का वाद अन्तिम रूप से दिनांक 20.10.2022 को डिक्री फरमा दिया गया, उक्त डिक्री में एवं अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री में आराजी समान होने के बावजूद भी एक ही आराजी के अलग अलग आदेश एवं डिक्री प्रदान कर दिये जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया

कि गोपाल आत्मज सरकार के वाद पत्र में एवं अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री में वादीगण के अधिवक्ता श्री लक्ष्मीचन्द गोतम है जिनको पूर्व वाद की जानकारी होने के बावजूद भी तथ्य छिपाकर दावा डिक्री करवा लिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट का कब्जा स्थित आराजी को समतल एवं उपजाऊ कर लम्बे समय से काश्तकारी करते चले आ रहे है जिनका स्वयं के खर्चे से ट्यूबवेल एवं विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर रखा है जिन्हें प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट को जानकारी प्रदान किये बिना ही दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। ग्राम मूंडला, तहसील अटरू स्थित आराजी खाता संख्या 318 के ख0 नं0 939 रकबा 1.65 हेक्टर, ख0 नं0 975 रकबा 1.68 हेक्टर किता 2 रकबा 3.33 हेक्टर, खाता संख्या 319 के ख0 नं0 1052 रकबा 0.54 हेक्टर, ख0 नं0 579 रकबा 0.56 हेक्टर, ख० नं० 905 रकबा 0.53 हेक्टर, ख० नं० 906 रकबा 0.53 हेक्टर किता 4 कुल रकबा 2.16 हेक्टर तथा खाता नं0 321 के ख0 नं0 1043 की 0.25 हेक्टर, ख0 नं0 1044 की 0.26 हेक्टर, ख० नं० 1045 की 0.23 हेक्टर, ख0 नं0 153/1252 की 0.1 हेक्टर, ख0 नं0 560 की 0.1 हेक्टर, ख0 नं0 561 की 0.05 हेक्टर, ख0 नं0 574 की 0.1 हेक्टर, ख0 नं0 577 की 0.66 हेक्टर, ख० नं० 580 की 0.22 हेक्टर, ख० नं० 582 का रकबा 0.89 हेक्टर, ख० नं0 587 रकबा 0.46 हेक्टर, ख० नं० 908 का रकबा 0.37 हेक्टर, ख0 नं0 909 का रकबा 0.3 हेक्टर, ख0 नं0 910 की 0.49 हेक्टर, ख० नं० 911 की 0.46 हेक्टर, ख0 नं0 912 की 0.54 हेक्टर, ख0 नं0 913 का रकबा 0.54 हेक्टर, ख0 नं0 914 का रकबा 0.36 हेक्टर, ख0 नं0 973 का रकबा 1.22 हेक्टर, ख0 नं0 974 का रकबा 1.28 हेक्टर कुल किता 20 कुल रकबा 8.88 हेक्टर, खाता संख्या 320 के ख0 नं0 578 रकबा 0.01 हेक्टर, ख0 नं0 581 की 0.01 हेक्टर, ख0 नं0 907 की 0.01 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.03 हेक्टर के संबंध में डिक्री जारी कर दी जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आदेश एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.11.2022 सव्यय निरस्त फरमायी जावे एवं अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की रिमान्ड फरमायी जावे।

अपील संख्या 2023/163 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं न्याय संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश एवं डिक्री प्रदान कर दी, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचना एवं जानकारी के रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का वाद अपीलान्ट के विरुद्ध डिक्री कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट ग्राम मूंडला, तहसील अटरू के स्थायी निवासी है। जिनमें से कुछ की शादियां हो जाने से अपने ससुराल में निवास करती चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना एवं तामील के सूचना होना मानकर एकपक्षीय कार्यवाही कर दी, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 द्वारा ग्राम मूंडला स्थित आराजी के संबंध में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिनका सम्मन अपीलान्ट को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ प्रस्तुत सम्मन विधि के प्रावधानों के विपरीत है। जिन पर त्रुटि पूर्ण रूप से अपीलान्ट की तामील होना मान लिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वादीगण का वाद विभाजन का है ग्राम मूंडला स्थित आराजी में अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही अवैधानिक एवं त्रुटि पूर्ण रूप से एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट ग्राम मूंडला स्थित आराजी के कब्जे व काश्त की चली आ रही है अपीलान्ट की आराजी से रेस्पोडेन्ट का कभी कोई संबंध नहीं रहा है फिर भी अपीलान्ट को विधिक के प्रावधानों के अन्तर्गत नोटिस तामील हुये बिना ही आदेश एवं डिक्री पारित कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम मूंडला स्थित आराजी के संबंध में गोपाल आत्मज सरकार प्रकरण सख्या 211/2020 का वाद अन्तिम रूप से दिनांक 20.10.2022 को डिक्री फरमा दिया गया, उक्त डिक्री में एवं अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री में आराजी समान होने के बावजूद भी एक ही आराजी के अलग अलग आदेश एवं डिक्री प्रदान कर दिये जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि गोपाल आत्मज सरकार के वाद पत्र में एवं अपीलाधीन आदेश एवं डिकी में वादीगण के अधिवक्ता श्री लक्ष्मीचन्द गोतम है जिनको पूर्व वाद की जानकारी होने के बावजूद भी तथ्य छिपाकर दावा डिक्री करवा लिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट का कब्जा स्थित आराजी को समतल एवं उपजाऊ कर लम्बे समय से काश्तकारी करते चले आ रहे

है जिनका स्वयं के खर्चे से ट्यूबवेल एवं विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर रखा है जिन्हें प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट को जानकारी प्रदान किये बिना ही दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। पूर्व में पारित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश एवं डिक्री दिनांक 30.11.2022 में ग्राम मूंडला स्थित आराजी में खाता संख्या 318, 319, 321, 320 के संबंध में प्रदान किया गया तत्पश्चात् हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त करने पर खाता संख्या 204, 314, 317 के संबंध में अपीलान्ट को बिना जानकारी व सूचना के संशोधन कर अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री प्रदान कर दी, जो सर्वथा एवं त्रुटि पूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि पूर्व में पारित आदेश एवं अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री के समय अपीलान्ट को कोई सूचना प्रदान नहीं की गयी अपीलान्ट को बिना सूचना के खाता संख्या 204, 314, 317 के संबंध में वाद पत्र में संशोधन कर पुनरावलोकन आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को संशोधन प्रार्थना पत्र पर जिस पर पृथक से नोटिस जारी किये जाने चाहिये थे के विधिक प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही छूटे गये खाता संख्या के संबंध में डिक्री प्रदान कर दी, जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधित वाद पत्र के बाबत कोई नोटिस अपीलान्ट को जारी नहीं किये गये और न ही अपीलान्ट को जवाब देही का कोई अवसर ही प्रदान किया गया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी एवं उसके गवाह छोटूलाल, शिवदान सिंह से कोई जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया, अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डर शीट दिनांक 15.07.2021 में पुनः तलबाना पेश करने का वर्णन है। किन्तु दिनांक 11.08.2021 की आर्डर शीट में बिना तामीली के कानून होना मानकर एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम मूंडला स्थित आराजी खाता संख्या 204 के ख० नं० 977 रकबा 5.13 हेक्टर, खाता संख्या 316 के ख0 नं0 924 रकबा 3.64 हेक्टर, खाता संख्या 317 के ख० नं० 391 रकबा 2.56 हेक्टर, खाता संख्या 318 के ख0 नं0 939 रकबा 1.65 हेक्टर, ख0 नं0 975 का रकबा 1.68 हेक्टर किता 2 रकबा 3.33 हेक्टर खाता संख्या 319 के ख० नं० 1052 रकबा 0.54 हेक्टर, ख० नं० 579 रकबा 0.56 हेक्टर, ख० नं० 905 रकबा 0.53 हेक्टर, ख० नं० 906 रकबा 0.53 हेक्टर किता 4 कुल रकबा 2.16 हेक्टर, खाता संख्या 321 के ख0 नं0 1043 की 0.25 हेक्टर, ख0 नं0 1044 की 0.26 हेक्टर, ख० नं० 1045 की 0.23 हेक्टर, ख0 नं0 153/1252 की 0.1 हेक्टर, ख० नं० 560 की 0.1 हेक्टर, ख० नं० 561 की 0.05 हेक्टर, ख0 नं0 574 की 0.1 हेक्टर, ख0 नं0 577 की 0.66 हेक्टर, ख० नं० 580 की 0.22 हेक्टर, ख० नं० 582 का रकबा 0.89 हेक्टर, ख० नं० 587 का रकबा 0.46 हेक्टर, ख0 नं0 908 का रकबा 0.37 हेक्टर, ख0 नं0 909 का रकबा 0.3 हेक्टर, ख० नं० 910 की 0.49 हेक्टर, ख0 नं0 911 की 0.46 हेक्टर, ख० नं० 912 की 0.54 हेक्टर, ख0 नं0 913 का रकबा 0.54 हेक्टर, ख0 नं0 914 रकबा 0.36 हेक्टर, ख० नं० 973 रकबा 1.22 हेक्टर, ख0 नं0 974 रकबा 1.28 हेक्टर कुल किता 20 कुल रकबा 8.88 हेक्टर, खाता संख्या 320 के ख0 नं0 578 रकबा 0.01 हेक्टर, ख0 नं0 581 की 0.01 हेक्टर, ख0 नं0 907 की 0.01 हेक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.03 हेक्टर के संबंध में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर पुनरावलोकन आदेश एवं डिक्री दिनांक 20.04.2023 अधीनस्थ न्यायालय सव्यय निरस्त फरमायी जाये एवं अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को रिमान्ड फरमायी जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.08.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपीलांट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. पेश कर दस्तावेज पेश कर न्यायहित में रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222

बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

बहस उभयपक्ष की सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उक्त प्रकरण में सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। सम्मन तामील के 11 दिन बाद ही एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। वाद पत्र के प्रतिवादी क्रम 18 पर बहुत से पक्षकारों को एक साथ पार्टी बना दिया गया। रिव्यू आदेश में सम्पूर्ण निर्णय ही बदल दिया गया। वाद पत्र में केवल खसरा सं. 318, 319, 320 व 321 का अनुतोष चाहा था तथा इसी से संबंधित शपथ पत्र पेश किये व जिरह की गई। रिव्यू आदेश में केवल लिपिकीय त्रुटि ही सुधारी जा सकती है, नया निर्णय नहीं किया जा सकता। उक्त आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.10.2022 को अंतिम डिक्री पारित हुई है जिसमें तथा प्रस्तुत प्रकरण में एक ही अधिवक्ता है लेकिन एक ही आराजी के संबंध में दो निर्णय कर दिये गये। अतः अपील स्वीकार की जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि सभी पक्षकारान को विधिवत तामील हुई है। रिव्यू आदेश के खिलाफ अपील पेश नहीं की गई है। अपील आधारहीन होने से खारिज की जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। महेन्द्र बनाम अशोक उनवानी प्रकरण संख्या 77/2021 का निर्णय दिनांक 30.11.2022 में खसरा नं. 318, 319, 320 व 321 का बंटवारा किया गया। वाद पत्र के अध्ययन से प्रकट होता है कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में खसरा नं. 316, 317 व 204 का कथन है। पैरा संख्या 1 के अलावा सम्पूर्ण वाद पत्र में कहीं भी खसरा नं. 316, 317 व 204 का उल्लेख नहीं है तथा ना ही इन खसरा नम्बर के सम्बन्ध में अनुतोष चाहा गया है। साक्ष्य वादी पी. डब्ल्यू 1 शपथ पत्र व जिरह, पी. डब्ल्यू. 2 व पी. डब्ल्यू. 3 के शपथ पत्रों में खसरा नं. 316, 317 व 204 का उल्लेख नहीं होना प्रकट होता है। हमारी राय में मूल वाद में जिन खसरा नं. 316, 317 व 204 का उल्लेख नहीं है उनके संबंध में संशोधित निर्णय में अनुतोष प्रदान करना विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के विरूद्ध तथा त्रुटिपूर्ण है। संशोधित निर्णय गणितीय एवं लिपिकीय त्रुटियों को दुरूस्त करने के लिए है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण गोपाल बनाम सरकार अशोक प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.04.2022 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 20.10.2022 में भी ग्राम मूण्डला की आराजी खसरा नं. 316, 317, 318, 319, 320, 321 व 204 के विभाजन के संबंध में निर्णित किया गया है। समान आराजी के तथा समान अधिवक्ता होते हुए दो निर्णय होना विरोधाभासी है। महेन्द्र बनाम अशोक उनवान प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 18 पर 8 प्रतिवादीगण को एक साथ पक्षकार बनाना भी सी.पी.सी. के प्रावधानों के विरूद्ध तथा त्रुटिपूर्ण है। अतः हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 2023/163 स्वीकार की जाती है तथा रिव्यू प्रार्थना पत्र की संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.04.2023 खारिज की जाती है। अपील संख्या 2023/164 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.11.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/5/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा